"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 — चैत्र 1, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 (चैत्र 1, 1938)

क्रमांक-143/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह 15 फरवरी, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक आठ के कॉलम (2) में, अंक एवं शब्द "रुपये 30.00 प्रति सीट" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "रुपये 60.00 प्रति सीट" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक आठ-क के शीर्षक में, विराम चिन्ह एवं शब्द ",क्रेन" का लोप किया जाये.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के सरल क्रमांक 7 के पश्चात्, तत्स्थानी कॉलम में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाये, अर्थात् :-

"8 क्रेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन, (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन), जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती हो.	यान की कीमत का 7%"

निरसन.

4. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्र. 1 सन् 2016) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची एवं द्वितीय अनुसूची में, कराधान प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से संशोधन किये जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार क्रेन तथा यांत्रिक खुदाई वाहनों पर आजीवन कर उद्ग्रहण करना प्रस्तावित है जबकि वर्तमान कर प्रणाली त्रैमासिक है.

और यत:, छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों के निर्माण तथा विकास के उद्देश्य से मोटरयानों के लिये त्रैमासिक कर की दरों को जनहित में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 10 मार्च, 2016

राजेश मूणत
परिवहन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 का उपाबंध

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा-3 एवं प्रथम अनुसूची के मद-आठ एवं आठ-क तथा द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के सरल क्रमांक-1 से 7 तक का उद्धरण निम्नानुसार है :-

धारा-3 राज्य में उपयोग में लाए गए या राज्य में उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जाएगा,

परंतु संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकिलों, अशक्त यात्री गाड़ियों तथा मोटर कारों की दशा में कर का उद्ग्रहण, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा,

परंतु जीवनकाल कर का उद्ग्रहण, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर, उसमें विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों के संबंध में किया जाएगा.

* * * * * *

प्रथम अनुसूची के मद-आठ

1. शैक्षणिक संस्थाओं के ओमनी बस का त्रैमासिक कर की दर-	त्रैमासिक कर की दर
"चालक को छोड़कर छह व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाली शैक्षणिक संस्था बस जो साधारणतया किसी महाविद्यालय, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से उपयोग में लायी जाती है और जिसका उपयोग संस्था के क्रियाकलापों में से किसी क्रियान्वयन के संबंध में विद्यार्थियों या शैक्षणिक संस्था के कर्मचारीवृंद के परिवहन के लिए किया जाता है"	रुपये 30/- प्रति सीट प्रति तिमाही

प्रथम अनुसूची के मद-आठ-क

2. कटाई यंत्र, क्रेन तथा रिंग मशीन- जिसका लदान रहित भार-	त्रैमासिक कर की दर
(एक) 1000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	रुपये 200.00 प्रति तिमाही
(दो) और पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कि. ग्रा. या उसके भाग के लिए	रुपये 300.00 प्रति तिमाही

द्वितीय अनुसूची

(देखें धारा-3 की उपधारा (1) का प्रथम परन्तुक)

(भाग-एक)

स. क्र.	मोटरयानों का वर्णन			जीवनकाल कर की दर
1.	किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकिलें		-	यान की कीमत का 7 प्रतिशत
2.	किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें-			
	(क)	जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक नहीं है	-	यान की कीमत का 8 प्रतिशत
	(ख)	जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक है	-	यान की कीमत का 9 प्रतिशत
3.	अशक्त यात्री गाड़ी		-	रुपये 360.00
4.	आटो-रिक्शा तिपहिया (लोक सेवा यान) जो किराया तथा पारितोषिक पर चलाई जा रही है और 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है-			
	(क)	अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तो के, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चत की जाय, अधीन ऋण लेने के पश्चात क्रय किए गए तथा उसके स्वामित्व में, के यान	-	यान की कीमत का 2 प्रतिशत
	(ख)	उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किए गए तथा उनके स्वामित्व में, के यान	-	यान की कीमत का 5 प्रतिशत
5.	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस जिसके बैठने की क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर) 12 यात्रियों तक हो		-	यान की कीमत का 9 प्रतिशत
6.	सकल यान भार 3500 कि. ग्रा. से अनधिक मालयान जिसकी कीमत			
	(क)	रुपये 2.5 लाख से अधिक नहीं	-	यान की कीमत का 12 प्रतिशत
	(ख)	रुपये 2.5 लाख से अधिक	-	यान की कीमत का 10 प्रतिशत
7.	तिपहिया आटो रिक्शा से भिन्न मोटर केब अथवा मैक्सी केब		-	यान की कीमत का 7 प्रतिशत

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.